राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3(ख)(1)( )अलेसे– ।।/ दिनांकः– 11.01.2017

आदेश संख्या/143 / 2016–17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में आरक्षित सूची में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर, उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवानियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण कर कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jdp2-ta-rj@nic.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें :–

क्र. स.	मेरिट कमांक	लिंक नं.	रोल नम्बर	नाम (सर्वश्री)	कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्तमान पदस्थापन	श्रेणी	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	R-14	9703	200976	विजय गोयल	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)।	GE	12/09/1986	
2.	R-15	9704	403023	सुरेन्द्र सिंह	कोषाधिकारी, जालोर।	GE	20/08/1977	
3.	R-16	9675	201600	रवि कुमार खंडेलवाल	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।	GE	04/10/1981	
4.	R-17	9689	101941	पुरूषोत्तम दाधीच	कोषाधिकारी, उदयपुर।	GE	15/06/1990	
5.	R-18	9676	725081	राजेश विजय	निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर।	GE,ME	05/09/1974	
6.	R-19	9695	718208	नितिन मिश्रा	कोषाधिकारी, बांसवाडा	GE	17/09/1975	
7.	R-21	9723	301400	अमर नाथ मोहता	आयुक्त, शिक्षा (माध्यमिक), बीकानेर।	GE,ME	05/07/1980	
8.	R-23	9715	702117	भवानी सिंह शेखावत	कोषाधिकारी, राजसमंद।	GE,ME	02/02/1974	
9.	R-24	9705	702508	सोमदत्त शर्मा	कोषाधिकारी, बारां।	GE	18/06/1984	
10.	R-25	9717	723873	अनुराग शर्मा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चितौडगढ़।	GE	10/12/1990	
11.	R-27	9721	710058	भुवनेश्वर विजय	सांवलिया मंदिर ट्रस्ट, मंडफिया (चितौडगढ़)	GE	10/10/1978	
12.	R-28	9707	301670	सुभाष शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जैसलमेर।	GE	02/03/1981	
13.	R-29	9724	723317	बिनोद कुमार मिश्रा	कोषाधिकारी, चितौडगढ़।	GE,ME	11/09/1972	
14.	R-31	9706	707109	विजय कुमार गुप्ता	सर्व शिक्षा अभियान, बौंली (सवाईमधोपुर)।	GE	10/04/1986	
15.	R-33	9684	400692	महेन्द्र सिंह राजपुरोहित	कोषाधिकारी, जालोर।	GE	15/02/1987	
16.	R-34	9678	403056	रमाकांत सारस्वत	प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बालोतरा (बाडमेर)।	GE	19/03/1976	
17.	R-35	9698	302052	गिरिराज दत्त हर्ष	कमाण्डैंट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर।	GE	02/02/1977	
18.	R-37	9708	719475	विनोद कुमार पालीवाल	कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़।	GE	16/11/1989	
19.	R-66	9687	703359	मनोहर लाल	कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।	SC	15/11/1989	
20.	R-67	9713	401590	श्रवण कुमार चौहान	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा (बाडमेर)।	SC	20/07/1975	
21.	R-68	9681	707485	राहुल चन्द्रोदय	कोषाधिकारी, डूंगरपुर।	SC	03/07/1982	
22.	R-78	9726	710374	मनोज कुमार मीना	कोषाधिकारी, राजसमंद।	ST	15/10/1975	

E:\sas-ii\KHANNA JI

उपर्युक्त सभी कर्मचारी अपने **वर्तमान कार्यालय में ही रिक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर अथवा यथा–आवश्यकता पद को क्रमोन्नत मानते हुए सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर कार्य करेंगे।**

उपरोक्त अभ्यर्थियों की सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
3. अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।
4. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि विवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
7. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन, भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।
8. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यधीन जारी किया जाता है।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने लिंक नं. का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पंकज पाटनी)
निदेशक
दिनांक :–11.01.2017

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/1805
प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति देने पर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें ।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि तक उनके नाम के सामने कॉलम सख्या 6 में अंकित कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रूप में आवश्यक रूप से उपस्थिति प्रस्तुत कर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु तथा पीआईएस रिकॉर्ड संधारण हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. डीर्पासी अनुभाग / गोपनीय शाखा।
9. रक्षित / निजी पत्रावली।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)